



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052022-235635  
CG-DL-E-07052022-235635

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]  
No. 121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली 6 मई, 2022

मामला सं. : एडी (ओआई) 01/2022

विषय: चीन इंडोनेशिया, और दक्षिण कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डिसपरशन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर (“एसएमओएफ”) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/1/2022-डीजीटीआर.—मै. बिरला फुरकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्रा. लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने 1995 या उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डिसपरशन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर (“एसएमओएफ”) (जिसे आगे संबद्ध देश या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने करने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. विचाराधीन उत्पाद चीन., इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डिस्पैरशन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर (“एसएमओएफ”)” है। एसएमओएफ एक कैरियर के रूप में लाइट के सिंगल स्पैटियल मोड के ट्रांसमिशन को सुगम बनाता है और इसका प्रयोग कतिपय बैंडों के भीतर सिंगल ट्रांसमिशन के लिए होता है। इस उत्पाद के दायरे में नॉन- डिस्पैरशन शिफ्टेड फाइबर (जी.652) तथा बैंड इनसेंसिटिव सिंगल मोड फाइबर (जी.657) शामिल हैं – जो दूर संचार प्रणालियों और विक्रेताओं के एक वैश्विक मानकीकरण निकाय इंटरनेशनल टेलीकॉम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू-टी) द्वारा यथा परिभाषित हैं। डिस्पैरशन शिफ्टेड फाइबर (जी.653), कट-ऑफ शिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (जी.654), और नॉन जीरो डिस्पैरशन शिफ्टेड फाइबर (जी.655 और जी.656) उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग यूपी-ट्यूब और मल्टी ट्यूब स्ट्रेंडेडकेबल्स, टाइट बफर केबल्स, आर्मरड और अन आर्मरड केबल, एडीएसएस और फिग-8 केबल्स, रिबन केबल्स, वेट कोर और ड्राइ कोर केबल्स और अन्य सहित ऑप्टिकल फाइबर केबल के विनिर्माण में होता है। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर को मुख्यतः हाई-डाटा रेट, लॉग डिस्टेंस और एक्सेस नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग मुख्यतः लॉग-हाउल, मैट्रो एरिया नेटवर्क, सीएटीवी, ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क (उदाहरण के लिए एफटीटीएच) और यहां तक कि यथा उपयोग के अनुसार कम दूरी के नेटवर्क में भी किया जाता है। इसकी प्रमुख खपत ग्राम पंचायत और रक्षा की कनेक्टिविटी (एनएफएस परियोजना) में टेलको द्वारा लाए गए 3जी/4जी/5जी द्वारा चालित है।

5. पीयूसी का आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 90011000 के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध वस्तुओं का आयात अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया गया हो और इसलिए सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

**ख. समान वस्तु**

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित किए जाने वाली कथित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। दोनों उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी मानते हैं कि इन दोनों को नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए।

**ग. संबद्ध देश**

7. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया हैं।

**घ. जांच की अवधि**

8. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019-31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020- 31 मार्च, 2021 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

**ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

9. यह आवेदन मै. बिरला फुरूकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्रा. लि. (“बीएफएल”) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा भारत में पीयूसी के अन्य विनिर्माता हैं। आवेदक ने एक आकड़ा सूचना निकाय सीआरयू से अन्य विनिर्माताओं के उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर मार्केट सहित वस्तु बाजारों का अध्ययन और विश्लेषण करने की विशेषज्ञता रखता है। यह अनुरोध किया गया है कि अन्य भारतीय विनिर्माताओं में से स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और मै. जैडटीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीयूसी के नियमित आयातक रहे हैं और इन्होंने पी ओ आई के दौरान पीयूसी का भारी मात्रा में आयात किया है। इस बात पर विचार करते हुए कि उक्त उत्पादक पीयूसी के नियमित आयातक हैं, और उन्होंने पी ओआई के दौरान पीयूसी का भारी मात्रा में आयात किया है, प्राधिकारी मानते हैं कि वे एडीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उत्पादक नहीं हैं।

10. यह देखा गया है कि बी एफ एल पात्र घरेलू उत्पादन अर्थात (स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लि. और जैड टी टी इंडिया प्रा. लि. को छोड़ने के बाद भारतीय उत्पादन) के कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा रखता है और इसलिए वह वर्तमान आवेदन दायर करने की अपेक्षित स्थिति में है।

11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उसकी समूह कंपनी में से एक ने चीन जन.गण. और कोरिया से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। अलबत्ता यह आयात निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन के प्रयोजनार्थ शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किया गया है। यह विचार करते हुए कि आयात, निर्यात प्रयोजनों के लिए किए गए हैं और ऐसे आयातों की मात्रा भी अधिक नहीं है। प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के प्रावधानों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली नियम 5(3) के अनुसार मापदंडों को पूरा करता है।

#### च. कथित पाटन का आधार

##### सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य केवल तभी चीन में प्रचलित लागत या घरेलू कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाए, यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित हैं और एडीडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार उनकी उचित तुलना हो सकता है, ऐसा नहीं करने पर चीन के उत्पादकों का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि अन्य संबद्ध देशों में कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इस प्रकार सामान्य मूल्य सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है।

#### छ. निर्यात कीमत

14. संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और अंतरदेशीय मालभाड़ व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

#### ज. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक पाटन मार्जिन का प्रथम दृष्टया पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

#### झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पाद तथा खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, घरेलू उद्योग की कीमत कटौती और कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण प्रभाव के रूप में पाटित आयातों के कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभपद्रता, निवेश पर आय, मालसूची के एकत्रण और क्षमता उपयोग के संबंध में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

#### ञ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

17. घरेलू उद्योग के द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने

और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

#### ट. प्रक्रिया

18. उक्त नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

#### ठ. सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों [adg11-dgtr@gov.in](mailto:adg11-dgtr@gov.in), [adv14-dgtr@gov.in](mailto:adv14-dgtr@gov.in), [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in), तथा [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in). पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एम एस वर्ल्ड फार्मेट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

#### ड. समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों [adg11-dgtr@gov.in](mailto:adg11-dgtr@gov.in), [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in), [adv14-dgtr@gov.in](mailto:adv14-dgtr@gov.in) तथा [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in), पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

#### ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना

को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

#### ग. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टीआर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल से भेज दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी।

#### त. असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2022

Case No. AD (OI) - 01/2022

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Dispersion Unshifted Single-mode Optical Fibre” (“SMOF”) originating in or exported from China, Indonesia and South Korea**

**F. No. 6/1/2022-DGTR.**—M/s **Birla Furukawa Fibre Optics Pvt. Ltd.** (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Rules"), for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "**Dispersion Unshifted Single-mode Optical Fibre**" ("**SMOF**") (hereinafter referred to as 'subject goods' or 'product under consideration') originating in or exported from **China, Indonesia and South Korea** (hereinafter referred to as 'subject countries').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of subject goods from the subject countries.

#### A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is "**Dispersion Unshifted Single-mode Optical Fibre**" ("**SMOF**") originating in or exported from China, Indonesia and South Korea. SMOF facilitates transmission of a single spatial mode of light as a carrier and is used for signal transmissions within certain bands. The product scope covers Dispersion Unshifted Fibre (G.652) as well as Bend insensitive single mode Fibre (G.657) - as defined by International Telecommunication Union (ITU-T), which is a global standardization body for telecommunication systems and vendors. Dispersion shifted Fibre (G.653), Cut-off shifted single mode optical Fibre (G.654), and Non Zero Dispersion Shifted Fibres (G.655 & G.656) are specifically excluded from the scope of Product.

4. The product under consideration is used for manufacture of Optical Fibre Cables, including Uni-tube and Multi tube stranded cables, tight buffer cables, Armoured and Un-armoured cables, ADSS & Fig-8 cables, Ribbon cables, Wet core and Dry core cables and others. Single-mode Optical Fibre is mainly applied to high-data rate, long distance and access network transportation, therefore, is mainly used in long-haul, metro area network, CATV, optical access network (for example FTTH) and even over short distance networks as applicable. Major consumption is driven by 3G/4G/5G rollout by Telco's, Connectivity of Gram Panchayat and Defence (NFS Project).

5. The PUC is being imported under Customs Tariff Heading 90011000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on scope of the product.

#### **B. LIKE ARTICLE**

6. The Applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the Authority holds that the two should be treated as 'like article' under the Rules.

#### **C. SUBJECT COUNTRIES**

7. The subject countries in the present petition are China, Indonesia, and South Korea.

#### **D. PERIOD OF INVESTIGATION**

8. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1<sup>st</sup> January' 2021 to 31<sup>st</sup> December' 2021. The injury investigation period covers the periods 1<sup>st</sup> April' 2018 – 31<sup>st</sup> March 2019, 1<sup>st</sup> April' 2019 – 31<sup>st</sup> March 2020, 1<sup>st</sup> April' 2020 – 31<sup>st</sup> March 2021 and the POI.

#### **E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

9. The application has been filed by M/s Birla Furukawa Fibre Optics Pvt. Ltd. ("BFL") In addition to the Applicant, there are other manufacturers of the PUC in India. The Applicant has submitted the production data of other manufacturers from CRU, a data reporting body which specialises in studying and analysing commodity markets, including Optical Fibre market. It has been submitted that out of the other Indian manufacturers, Sterlite Technologies Ltd. and M/s ZTT India Pvt. Ltd., are regular importers of the PUC and have imported significant quantities of PUC during the POI. Considering that the said producers are regular importers of the PUC and have imported significant quantity of PUC during the POI, the Authority holds that they are not eligible domestic producers under Rule 2(b) of the ADD Rules.

10. It is seen that BFL accounts for the major share of the total production of the eligible domestic production (i.e. Indian production after excluding Sterlite Technologies Ltd. and ZTT India Pvt. Ltd.) and therefore, has the requisite standing to file the present application.

11. As per the information submitted by the Applicant, one of its group company has imported the subject goods from China PR and Korea, *albeit* under duty exemption schemes for the purpose of manufacturing goods for export. Considering that the imports have been made for export purposes and also as the volume of such imports is not significant, the Authority notes, after due examination, that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of the provisions of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules.

#### **F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**

##### **12. Normal Value**

The Applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol, the normal value for Chinese producers may be determined based on costs or domestic selling prices prevailing in China, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of Para 1 to 6 of Annexure I to ADD Rules, failing which, normal value for Chinese producers must be determined based on para 7 and 8 of Annexure I to the rules.

13. The Applicant has also claimed that the data relating to price in other subject countries is not available. The normal value has been thereby constructed based on best estimates of the cost of production of subject goods as per the best available information after duly adjusting selling, general & administrative expense with reasonable profits.

##### **14. Export price**

The export price for subject goods for the subject countries have been computed based on the import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight expenses. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export price so computed.

##### **15. Dumping margin**

The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration from the subject countries. Thus there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from subject countries is being dumped in Indian market by the exporters from the subject countries.

### **G. INJURY AND CAUSAL LINK**

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury taken place as a result of the alleged dumping in form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of sale, profitability, return on investment, accumulation of inventories and capacity utilization as a result of increase in imports of product under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries.

### **H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

17. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

### **I. PROCEDURE**

18. Principles as stated under Rule 6 of the said Rules shall be followed in the present investigation.

### **J. SUBMISSION OF INFORMATION**

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address [adg11-dgtr@gov.in](mailto:adg11-dgtr@gov.in), [adv14-dgtr@gov.in](mailto:adv14-dgtr@gov.in), [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in), and [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

20. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

### **K. TIME LIMIT**

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses [adg11-dgtr@gov.in](mailto:adg11-dgtr@gov.in), [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in), [adv14-dgtr@gov.in](mailto:adv14-dgtr@gov.in) and [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in), within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

### **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

#### **M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

30. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

#### **N. NON-COOPERATION**

31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority